

# मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1994 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 1 सितम्बर, 1994 (भाद्र 10, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री शिव नेताम, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1981 की धारा 12 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार लोक आयुक्त संगठन का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1.4.1991 से 31.3.1992) पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री रामलखन शर्मा, लक्ष्मीनारायण शर्मा, गोविन्द मिश्रा, सदस्य, रीवा के मार्तण्ड काम्प्लेक्स में गोलीकाण्ड से एक छात्र के घायल होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री रविन्द्र चौबे, नोबेल कुमार वर्मा, सदस्य, रायपुर एवं बिलासपुर संभाग में अमानक कटीनाशकों की बिक्री होने की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, श्री ईश्वरदास रोहाणी, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले की अमाचन पुलिस की मारपीट से एक युवक की हुई मृत्यु की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री राजाराम तोडेम, सदस्य, बस्तर के राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत में अनियमितताएं की जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री जसवंत सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि :-

" सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सप्तम् प्रतिवेदन से सहमत है".

### 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री कमल किशोर पटेल, सदस्य, होशंगाबाद जिले के हरदा नगर में -

- (क) विस्थापित सिंधी परिवारों का व्यवस्थापन कराये जाने,
- (ख) बायपास रोड बनाये जाने,
- (ग) शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-1 के भवन का जीर्णोद्धार कराये जाने,
- (घ) खेड़ीपुरा प्राथमिक शाला भवन का पुनर्निर्माण कराये जाने,
- (ङ.) औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने, एवं
- (च) नवीन पेयजल टंकी बनाये जाने,

(2) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल के नेहरू नगर की सड़कों, नालियों एवं गटरों की मरम्मत कराने,

(3) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, भोपाल के नेहरू नगर में नाले के ऊपर पुलिया का निर्माण कराने, तथा

(4) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम सुमेधा में पूर्व माध्यमिक शाला भवन का निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएँ प्रस्तुत करेंगे.

# - 2 -

निर्धारित

समय

1 घन्टा  
30 मि.

## 6. प्रतिवेदनों पर चर्चा

(1) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 पर चर्चा.

1 घन्टा  
30 मि.

(2) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट/ उत्तर एवं बोर्ड की टिप्पणी वर्ष 1990-91 (अनुभाग-1) पर चर्चा.

भोपाल :  
दिनांक : 31 अगस्त, 1994

**शीला खन्ना**  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा

किसी भी प्रकार के प्रतिकार के बिना, प्रेषित प्रतिवेदन (1) को मध्य प्रदेश विधान सभा के सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल को भेजा जायेगा।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिवेदन (2) को मध्य प्रदेश विधान सभा के सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल को भेजा जायेगा।

उपरोक्त प्रतिवेदनों पर चर्चा के लिए मध्य प्रदेश विधान सभा के सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल को सूचित किया जाता है।

किसी भी प्रकार के प्रतिकार के बिना, प्रेषित प्रतिवेदन (1) को मध्य प्रदेश विधान सभा के सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल को भेजा जायेगा।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिवेदन (2) को मध्य प्रदेश विधान सभा के सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल को भेजा जायेगा।

उपरोक्त प्रतिवेदनों पर चर्चा के लिए मध्य प्रदेश विधान सभा के सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल को सूचित किया जाता है।

किसी भी प्रकार के प्रतिकार के बिना, प्रेषित प्रतिवेदन (1) को मध्य प्रदेश विधान सभा के सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल को भेजा जायेगा।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिवेदन (2) को मध्य प्रदेश विधान सभा के सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल को भेजा जायेगा।

उपरोक्त प्रतिवेदनों पर चर्चा के लिए मध्य प्रदेश विधान सभा के सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल को सूचित किया जाता है।